

## भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

(8)

रियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव से भंकोली मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 1.7915 है०)।

#### भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने  
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की  
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक  
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय  
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

#### भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी  
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:  
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या  
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी  
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर  
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

lly